संख्या-72/2026/I/1385728/2026/001-71-2013-28-2020

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सी0बी0एम0आर0,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-06 जुलाई, 2026

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत सेन्टर हेतु 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-CBMR/F&A/2026-27/Budget/19/504326, दिनांक 08.05.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टर हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत सेन्टर हेतु 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि रू0 रू0 1774.00 लाख लाख के सापेक्ष क्रय किये जाने वाले उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में उपकरणों की संलग्न सूची को अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेन्टर, लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में मानक मद-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-07-सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1774.00 लाख (रुपये सत्रह करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. सुसंगत वित्तीय नियमों व क्रय नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ संबंधित फर्म की शुचिता आदि की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी।
2. उपकरणों की गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के अनुसार आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, संस्थान को होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जब उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. सूची में अनुमोदित उपकरणों का क्रय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में ही सुनिश्चित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने की दशा में पुनः सूची पर अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
8. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना हेतु भवन आदि उपलब्ध हैं तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
9. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में इंगित/अनुमोनित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
10. उपकरण के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
11. उपकरणों का क्रय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ही किया जायेगा।
12. निदेशक, सेण्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त क्रय किये जाने वाला उपकरणों की उपलब्धता जेम पोर्टल पर है और उपकरणों के प्रस्तावित मूल्य बाजार दर से संगत एवं औचित्यपूर्ण है।
13. किसी भी अनियमितता की स्थिति में निदेशक व उनका कार्यालय उत्तरदायी होगा।
14. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
15. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 17,74,00,000 (रुपये सत्रह करोड़ चौहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050700 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ मानक मद 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-72/2026/I/1385728/2026/001-71-2013-28-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा् शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://sh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-72/2026/I/1385728/2026/001-71-2013/28/2020,

दिनांक-06 जुलाई, 2026 का संलग्नक।

S. No.	Equipment	Cost (in Lakh)	Justification
1	Solution state NMR 500 MHz	850.00	The proposed acquisition of a 500 MHz liquid-state NMR spectrometer will significantly enhance analytical capabilities and increase throughput for organic synthesis and molecular characterization. A 500 MHz system provides better spectral resolution and sensitivity than a 400 MHz system, enabling clearer separation of overlapping resonances and more precise structural assignments for increasingly complex synthetic molecules using multinuclear facilities. Importantly, it will reduce the routine workload on both the 400 MHz and the 800 MHz instruments, allowing the latter to focus on advanced metabolomics and biomolecular research.
2	LC-HRMS (Proteomics)	750.00	The proposed Multi-Omics LC-HRMS system will significantly strengthen the research capabilities of CBMR in the domains of clinical, biomedical, and translational research. The instrument offers high mass accuracy, sensitivity, and robustness, enabling comprehensive profiling of biomolecules across multiple omics layers. The LC-HRMS (Proteomics) will be majorly used for the Clinical Research Applications, Metabolomics and Lipidomics, Advanced Molecular Characterization, Institutional Benefit etc.
3	Preparative HPLC	120.00	The existing preparative HPLC system has been in continuous use for over 12 years and is equipped only with a UV detector. It has exceeded its effective service life and now faces frequent maintenance issues, operational reliability and purification efficiency. A new preparative HPLC system with dual UV-visible and ELSD detectors is essential to expand detection capability and improve purification performance.
4	Ultra Low Deep Freezer	12.00	An ultra-low temperature (-86 °C) freezer is essential for long-term storage of enzymes, DNA, RNA, and biological samples, preserving integrity, ensuring reproducibility,

http://shasanadesh.up.gov.in

			supporting ongoing research, and minimizing sample degradation and loss.
5	Rotary Evaporator Set	13.00	This device used in chemical laboratories for the efficient and gentle removal of flammable solvent. The instrument in lab is more than 10 years old and is non-functional
6	Workstation (2nos)	10.00	A high-performance workstation is required for computational studies including molecular modeling. docking. molecular dynamics simulations, and analysis of large datasets. These tasks demand high processing power, large memory, and fast storage. The proposed system will reduce computation time, enable parallel processing, support advanced software, and improve research efficiency for handling computationally intensive biocatalysis and structural biology projects.
7	Air Compressor for NMR systems	19.00	We need to procure oil-free air compressors for our 400/600/800 MHz NMR Spectrometers at CBMR. This is required to supply 100% Oil-Free Cooled and Dried Air to the NMR spectrometers for smooth operation. Existing compressors are very old (more than 10 years old) and are experiencing technical problems.
	Total Rs.	1774.00	

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।